

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश : जबलपुर

// आदेश //

कमांक B/1642 / चार-12-14 / 10

जबलपुर, दिनांक 19 / 03 / 2021

म.प्र. मूलभूत नियम के प्रावधानों के अनुसार तथा मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के ज्ञापन कमांक 2446/21-ब(एक) दिनांक 15.04.2019 में दिये गये स्पष्टीकरण के परिपेक्ष्य में श्री सुधीर सिंह चौहान, उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी को रजिस्ट्री आदेश कमांक 13/गोप0/2021 जबलपुर दिनांक 05 जनवरी, 2021 द्वारा जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड) (Selection Grade Scale) के वेतनमान में दिनांक 27.08.2018 से नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप उनका दिनांक 28.08.2013 से निम्नानुसार वेतन का पुर्नः निर्धारण किया जाता है:-

उच्च न्यायिक सेवा के एण्ट्री वेतनमान 51550-1230-58930-1380-63070/-में नियुक्ति का दिनांक	प्राप्त वेतन	वेतनवृद्धि का दिनांक	निर्धारित वेतन	देय दिनांक
1	2	3	4	5
28.08.2013	51550.00 (39530-54010) <u>51550.00</u> 08.08.2013	-	51550.00	28.08.2013
	आगामी वे0वृ0	08.08.2014	52780.00	01.08.2014
	आगामी वे0वृ0	08.08.2015	54010.00	01.08.2015
	आगामी वे0वृ0	08.08.2016	55240.00	01.08.2016
	आगामी वे0वृ0	08.08.2017	56470.00	01.08.2017
	आगामी वे0वृ0	08.08.2018	57700.00	01.08.2018
चयन ग्रेड वेतनमान 57700-1230-58930-1380-67210-1540-70290/- में नियुक्ति का दिनांक 27.08.2018			58930.00	27.08.2018
	आगामी वे0वृ0	08.08.2019	60310.00	01.08.2019
	आगामी वे0वृ0	08.08.2020	61690.00	01.08.2020

नोट:-मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश दिनांक 31.07.2020 के अंतर्गत उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी की 31 जुलाई-2020 की वेतनवृद्धि काल्पनिक रूप से देय होगी तथा स्थितियों सामान्य होने पर इसके वास्तविक वित्तीय लाभ प्रदाय करने के संबंध में पृथक से आदेश जारी किए जाएंगे।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

sdv

(अजय पवार)

रजिस्ट्रार(एम)

जबलपुर, दिनांक 19 / 03 / 2021

पृष्ठांकन कमांक B/1643 / चार-12-14 / 10

प्रतिलिपि:-

1. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली/उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
2. सचिव, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग, पर्यावास भवन, खण्ड-1, प्रथम तल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
3. श्री सुधीर सिंह चौहान, उप सचिव, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. सहायक सेवा पुस्तिका (राजपत्रित), उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

नोट:- रजिस्ट्री पृष्ठांकन कमांक Reg(IT)(SA)/2018/368 दिनांक 01.03.2018 के द्वारा आदेशों की प्रिंटिंग, फोटोकापी एवं सायक्लोस्टाइल किया जाना बंद कर दिया गया है। अतः उक्त आदेश के तारतम्य में समस्त संबंधितों को सूचित किया जाता है कि वे आदेश की प्रति डाउनलोड करें व तदनुसार आवश्यक कार्यवाही का पालन करें।

डेमन

sdv
18-3-2021
रजिस्ट्रार(एम)